उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या– 17/2017

रामाधार सिंह वगै0 बनाम् राज कुमार विजय सिंह वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
28-06-2019	आदेश अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजतों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में प्रश्नगत् भूमि मौजा मुर्रामकला, थाना नं0–91, थाना– रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–58, प्लॉट नं0–1005, रकबा– $0.02\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि , जो खतियान में दर्ज रकबा से अधिक रकबा है, उस पर किसका दावा बनता है, जो स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। जिसका निर्धारण इस न्यायालय में संभव नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दायर रिविजन आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 28/6/19 **उपायुक्त,** रामगढ़। 28/6/19 **उपायुक्त,** रामगढ़।	